कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

–: *विविध आदेश* :–

क्रमांक– 58 /एक–11–1/2009 बालाघाट, दिनांक 22/23 अप्रैल, 2026

मैं, प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक–21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश देता हूं, जो तत्काल प्रभावशील होगाः–

01) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल क्रमांक 16 को पूर्णतः विलोपित किया जाकर पुनः सरल क्रमांक 16 निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :–

16	**प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, वारासिवनी**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।

02) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल क्रमांक 17 के पश्चात 17अ निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :–

17 अ	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, वारासिवनी**	1. तहसील वारासिवनी से उत्पन्न समस्त प्रकार के नियमित एवं अकिंचन व्यवहार वाद जिनका मूल्यांकन रूपये 1/– से 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक हो। 2. तहसील वारासिवनी से उत्पन्न लघुवाद जिनका मूल्यांकन रू. 200/–(रू.दो सौ) अधिक न हो। 3. तहसील वारासिवनी के क्षेत्रातंर्गत मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 सहपठित आदेश 21 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के रूपये 5,00,000/– तक मूल्य के प्रस्तुत होने वाले निष्पादन प्रकरण। 4. तहसील वारासिवनी में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के समस्त रिक्त न्यायालयों तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशगण वारासिवनी द्वारा पूर्व में निराकृत व्यवहार वादों से उत्पन्न निष्पादन वाद, विविध वाद, समस्त विविध कार्यवाहियां तथा अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निराकरण। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश बालाघाट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरणों का निराकरण।

03) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के अत्यावश्यक सुनवाई को लेकर कार्य–व्यवस्था (**अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार**) के सरल कमांक 16 एवं 17 को पूर्णतः विलोपित किया जाकर पुनः सरल कमांक 16, 17 एवं 17अ निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

(अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार)

क	1	2	3	4
16	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
17	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी
17अ	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, वारासिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, वारासिवनी

इस्ता०/–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट

पृष्ठांकन कमांक 656 /एक–11–1/2009, बालाघाट, दिनांक 22 अप्रैल, 2026
23

प्रतिलिपि :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
02. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
03. कलेक्टर, बालाघाट,
04. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट
05. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
06. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट/वारासिवनी
07. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर
08. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी
09. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बैहर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश बैहर
10. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट/वारासिवनी
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट/वारासिवनी
12. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वारासिवनी
13. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बैहर

14. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बैहर/कटंगी/लांजी
15. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, बालाघाट
16. स्टेनो, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
17. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
18. कार्यालय मोहर्रिर, व्यवहार न्यायालय, बालाघाट
19. कम्प्यूटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी
20. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट